लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 23/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/101

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री अनिल कुमार पिता श्री खुमानसिंह पाटीदार मु.पो. बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा मो.नं. 9928593458	बनाम	अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 09–07–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **24–02–2025** (पोस्टल ऑर्डर नं. 64एफ 479006) पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **18–06–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने सूचित किया गया।

दिनांक **09–07–2025** को प्रत्यर्थी **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने पत्रांक 78 दिनांक 30.06.2025** से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित के सन्दर्भ में कार्यालय के पत्रांक 27 दिनांक 21[illegible] से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील निरस्त फरमावे। दिनांक 09.07.2025 [illegible] उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:42 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** के जवाब मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **24–02–2025** से 1 बिन्दु पर यह सूचना चाही गई है कि "राजस्व गांव बडौदिया तहसील बागीदौरा पूर्व वर्षो में संलग्न नामान्तरकरण सं. 323 के कॉलम नम्बर 16 में अंकित आदेश क्रमांक 2284 दिनांक 06.07.63 की प्रमाणित प्रति की सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे"। चाही गई सूचना संबंधित अभिलेख लगभग 62 वर्ष से अधिक पुराना है तथा अस्पष्ट विशिष्ठि (विवरण) के है। केवल मात्र आदेश क्रमांक व दिनांक के आधार पर इतने अत्यधिक समय के पूर्व के अभिलेख की सूचना जानकारी न केवल वृहद है, अपितु अत्यधिक श्रम साध्य है। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना एवं उद्धेश्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी कार्यालय में उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखो के अवलोकन हेतु एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत पत्र के माध्यम से आमंत्रित करे। अपीलार्थी के अवलोकनोपरांत उनके द्वारा चिन्हित करने पर नियमानुसार सूचना /विनिश्चिय अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाये। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:22 IST
Reason: SelfAttested